HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 2108/2026

1. Diwanshu Sharma S/o Late Vishnu Dutt Sharma, R/o Tower 2/404, Mahima Shubh , Nilay, Ajmer Road, Bhankrota, Jaipur (West), Rajasthan.
2. Minaxi Sharma W/o Late Vishnu Dutt Sharma, R/o Tower 2/404, Mahima Shubh , Nilay, Ajmer Road, Bhankrota, Jaipur (West), Rajasthan.
3. Alok Sharma S/o Late Vishnu Dutt Sharma, R/o Tower 2/404, Mahima Shubh , Nilay, Ajmer Road, Bhankrota, Jaipur (West), Rajasthan.

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through The Learned Public Prosecutor.
2. Pratibha Trivedi W/o Diwanshu Sharma, R/o P.n. 59, Parmanand Nagar, Niwaru Road, Jhotwara, Jaipur (West), Rajasthan.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Ms. Aayushi Jain, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

24/04/2026

1. याची–अभियुक्तगण की ओर से यह याचिका अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत परिवादी–प्रत्यर्थी की ओर से पुलिस थाना–महिला थाना, जयपुर पश्चिम में पंजीबद्ध करवायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 109/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 406, 323, 313, 504 भा.दं.सं. को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

2. विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्तगण का निवेदन है कि लम्बे समय तक परिवादिया अपने ससुराल में सौहार्दपूर्ण वातावरण में रही, तत्पश्चात अन्य

किसी व्यक्ति के साथ लिव–इन–रिलेशनशिप में रहने से उसे टोके जाने पर काउण्टर ब्लास्ट के रूप में मिथ्या आधारों पर यह रिपोर्ट दर्ज करायी है जो कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग है, अंत में उपरोक्त आधारों पर यह प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

3. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा याचिका का विरोध करते हुए जाहिर किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के आधार पर संज्ञेय अपराध के तत्व प्रकट हो रहे हैं, इस याचिका के माध्यम से अभियुक्त द्वारा लिए गये बचाव विचारण का विषय है, अन्त में याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया।

5. वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवादिया द्वारा वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट के माध्यम से अपने पति, सास तथा देवर के विरूद्ध यह आरोप लगाया गया है कि उसका विवाह अभियुक्त देवांशु के सथ दिनांक 21.04.2015 को हुआ था, विवाह के कुछ समय पश्चात से अभियुक्तगण द्वारा उनकी अपेक्षा के अनुरूप विवाह नहीं होने व दहेज कम होने आदि बातों को लेकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया, सतत रूप से क्रूरतापूर्ण व्यवहार रहा और स्त्रीधन भी अभियुक्तगण के पास है जो लौटाने से मना कर दिया।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा State of Uttar Pradesh and Anrs. Vs. Akhil Sharda and Ors with Sanjeet Jaiswal Vs. State of Uttar Pradesh and Ors. 2022 SCC OnLine SC 820 के पैरा संख्या–07 में यह व्यवस्था प्रतिपादित की गयी हैः–

> "7. Having gone through the impugned judgment and order passed by the High Court by which the High Court has set aside the criminal proceedings in exercise of powers under Section 482 Cr.P.C., it appears that the High Court has virtually conducted a mini trial, which as such is not permissible at this stage and while deciding the application under Section 482 Cr.P.C. As observed and held by this Court in a catena of decisions no mini trial can be conducted by the High Court in exercise of powers under Section 482 Cr.P.C. jurisdiction and at the stage of deciding

> the application under Section 482 Cr.P.C., the High Court cannot get into appreciation of evidence of the particular case being considered."

7. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Kamaladevi Agarwal V. State of W.B. & Ors. (2002) 1 SCC 555 के पैरा संख्या–07 में यह व्यवस्था प्रतिपादित की गयी हैः–

> "7. This Court has consistently held that the revisional or inherent powers of quashing the proceedings at the initial stage should be exercised sparingly and only where the allegations made in the complaint or the FIR, even if taken it at the face value and accepted in entirety, do not prima facie discolse the commission of an offence. Disputed and controversial facts cannot be made the basis for the exercise of the jurisdiction."

8. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त कराने हेतु अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते समय प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित आरोप तथा अभियुक्त की ओर से लिए गये बचाव व अन्य सामग्री की सत्यता, विश्वसनीयता आदि के संबंध में संक्षिप्त जांच अथवा संक्षिप्त विचारण अनुज्ञेय नहीं है। वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के आधार पर संज्ञेय अपराध के तत्व प्रकट हो रहे हैं। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायालयीन प्रक्रिया का दुरूपयोग करने हेतु दर्ज करायी गयी हो, ऐसा स्पष्ट मामला नहीं है तथा लगाये गये आरोप अपने आप में असंभाव्य हो, ऐसी स्थिति भी नहीं है। अभियुक्त द्वारा जो बचाव लिये गये हैं, वे विचारण के दौरान सुसंगत हो सकते हैं। अभियुक्त द्वारा लिए गये बचाव मात्र आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किया जाना उचित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने हेतु अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग संयत तरीके से व पूर्ण सावधानी के साथ अपेक्षित है। सामान्य रूप से जब तक सुदृढ आधार नहीं हों, अनुसंधान अथवा विचारण की प्रक्रिया को रोका जाना अथवा बाधित किया जाना उचित नहीं है।

9. उपरोक्त विवेचानानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त करने हेतु धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत क्षेत्राधिकारिता का प्रयोग हस्तगत मामले में किया जाना उचित नहीं है।

10. परिणामतः यह याचिका खारिज की जाती है, स्थगन प्रार्थना पत्र भी उक्त प्रकार से अस्वीकार किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /28